भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *188

09.12.2024 को उत्तर के लिए

ओडिशा के केंद्रपाड़ा में संरक्षण संबंधी प्रयास

***188. श्री बैजयंत पांडा :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और इसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में संरक्षण परियोजनाओं, विशेष रूप से मैंग्रोव संरक्षण के लिए कोई धनराशि आवंटित की है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'ओडिशा के केंद्रपाड़ा में संरक्षण संबंधी प्रयास' के संबंध में श्री बैजयंत पांडा द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *188 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवन के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में ये शामिल हैं:

i. 145 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जिसमें वन भूमि, नदियाँ, संकरी खाड़ियाँ, मुहाना और बैकवाटर शामिल हैं, को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वर्ष 1998 में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार,

   क. राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शिकार करना तथा इसकी सीमाओं में परिवर्तन करना दण्डनीय है जिसके लिए न्यूनतम तीन वर्ष तक के कारावास, जिसे बढ़ाकर सात वर्ष किया जा सकता है, तथा कम से कम पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

   ख. राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

   ग. राष्ट्रीय उद्यान से वन उपज सहित किसी भी वन्य जीव का संहार करने, उसका दोहन करने या हटाने, तथा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर या बाहर जल के प्रवाह को मोड़ने, रोकने या बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार के अनुमोदन से मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा दिए गए परमिट के अधीन और उसके अनुसार दी गई अनुमति के सिवाय, अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii. भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया है।

iii. जैसा कि ओडिशा राज्य द्वारा सूचित किया गया है, केंद्रपाड़ा, ओडिशा में मैंग्रोव संरक्षण सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावास की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के तहत आवंटित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**योजना/परियोजना का नाम**	**राशि (लाख रुपए में)**
1.	सीएसएस-वन्यजीव पर्यावासों का विकास	512.13
2.	सीएसएस- मैंग्रोव का संरक्षण और प्रबंधन	487.87
3.	'भारत के तटीय समुदायों की जलवायु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना (ईसीआरआईसीसी) परियोजना' के तहत आजीविका संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और मैंग्रोव वृक्षारोपण	1643.63

iv. इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2023 में मैंग्रोव को अद्वितीय, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहाल करने और बढ़ावा देने तथा तटीय पर्यावासों की वहनीयता को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए "तटीय पर्यावास और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल" **(मिष्टी)**

कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रपाड़ा सहित 4 अभिज्ञात जिलों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियां चलाने के लिए ओडिशा राज्य को 70.27 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

v. वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वन्य जीवों और उनके अंगों से निर्मित वस्तुओं के अवैध व्यापार के बारे में आसूचना एकत्र करने तथा वन्यजीव कानूनों के प्रवर्तन में अंतरराज्यीय और सीमापारीय समन्वय स्थापित करने के लिए की गई है।

*****